



# मॉड्यूल - आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं में अपेक्षित नेतृत्व

## भाग - 1

आदिवासी बच्चों की स्कूल से बाहर की चुनौतियों को समझना

## भाग - 2

आदिवासी बच्चों की स्कूल के अंदर की चुनौतियों को समझना

## भाग - 3

प्रधानाध्यापक होने के नाते शाला में किये जाने वाले प्रयास



## टीर्षक :

# आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं में अपेक्षित नेतृत्व

उद्देश्य :

1. आदिवासी समुदाय के बच्चों को सीखने-सिखाने के दौरान आने वाली चुनौतियों को समझ पाएंगे।
2. बतौर प्रधानाध्यापक इन चुनौतियों से जूझने के लिए कुछ विकल्पों का चुनाव कर पाएंगे।

## परिचय

भारत, विश्व में सबसे अधिक आदिवासी जनसँख्या वाले देशों में से एक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसँख्या का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी समुदायों का है। यह वो समुदाय है जो विकास की सीढ़ी पर सबसे निचले पायदान पर खड़ा नजर आता है। यूँ तो भारत में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए बहुत सी नीतियों तथा दस्तावेजों ने अपनी-अपनी अनुशंसाएं रखी, फिर भी विकास की परिभाषा में आदिवासियों के जीवन मूल्य को अभी भी समाहित नहीं किया जा सका है। खुद आदिवासी भी अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं जिसका मुख्य कारण उनका साक्षर नहीं होना है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स), भारत सरकार, देश में आदिवासी समुदाय के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास पर, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को भी पूरक बनाता है। आदिवासी समुदायों की साक्षरता दर में सुधार हेतु मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सी सरकारी योजनाएं क्रियान्वित हैं जैसे- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम शाला, मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मेट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजना, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास, केंद्र और राज्य द्वारा संचालित कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, इत्यादि।

इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप साक्षरता दर में बदलाव तो आये हैं लेकिन अभी एक लम्बा सफर तय करना बाकी है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पेरियौडिक लेबर फोर्स सर्वे) 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, के अनुसार आदिवासी समुदाय की साक्षरता दर 67 प्रतिशत रही जो कि राष्ट्रीय दर भारत सरकार प्रतिशत से कम है। लेकिन 2011 सेन्सस में दिए गए आंकड़े (59%) की तुलना में अधिक है। वहीं 2018-19 की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पेरियौडिक लेबर फोर्स सर्वे) की रिपोर्ट में यह दर और अधिक बढ़कर 69.4 प्रतिशत हो गई है। ( pib.gov.in/pressReleasePage posted on 22nd Sep 2020 )

मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं जो कि प्रदेश कि कुल आबादी का 21.1 प्रतिशत हैं (सेन्सस 2011) इन सभी जनजातियों में से भील समूह सबसे अधिक प्रचलित हैं जो कि पूरी जनजातीय आबादी

का लगभग 37 प्रतिशत बनाता है। इसके बाद गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया और बैगा जनजातियाँ आती हैं। यह 6 जनजाति समूह मिलकर प्रदेश कि आदिवासी जनसंख्या का 92 प्रतिशत पूरा कर देते हैं। इनमें से भील जनजाति सबसे अधिक मात्रा में धार, बड़वानी और खरगोन जिले में पाए जाते हैं, वहीं गोंड जनजाति डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, बेतूल, सिवनी और शहडोल जिले में निवास करते हैं। कोल, कोरकू, सहरिया और बैगा सबसे अधिक जनसंख्या में रीवा, खंडवा, शिवपुरी और शहडोल में मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जनजाति समूह भी हैं जो प्रदेश के अन्य भागों में निवास करते हैं जैसे; परधान, सौर, भरिया, भूमिया, माझी, खैरवार, मवासी, पनिका इत्यादि।

मध्यप्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का संचालन पूर्ण रूप से कर रही है। इसके बावजूद विभिन्न सर्वेक्षणों में यह देखा गया है कि जनजातीय समूहों के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने के बावजूद उच्च शिक्षा तक आते-आते कहीं छूट जाते हैं। इसका उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 ‘समतामूलक और समावेशी समाज’ में भी किया गया है।

## अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा

एक समतामूलक और समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिससे सभी बच्चों के सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हों और परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित हो।

आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था (और एक के बाद एक आई सरकारी नीतियों ने) स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लैंगिक और सामाजिक वर्गों बीच गैर-बराबरी को दूर करने में काफी हद तक सफलता पायी है। इसके बावजूद ऐतिहासिक रूप से अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए बड़ी असामान्य, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, आज भी मौजूद हैं।

शिक्षा में URGs के अंतर्गत व्यापक रूप से विशेष लैंगिक पहचान (जिनमें महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे -SC, ST, OBCs, मुस्लिम और प्रवासी समुदाय), विशेष आवश्यकता वाले (जिन्हें सीखने में विशेष चुनौतियाँ पेश आती हैं और विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाले (जैसे शहरी गरीब) लोग आते हैं। हालांकि कक्षा 1 से 12 तक लगातार ही सकल नामांकन में गिरावट देखी जाती है (जिसका पूरे देश के स्तर पर ही समाधान खोजे जाने की ज़रूरत है और अध्याय 3 में इस पर चर्चा भी की गयी है)। इनमें से कई URGs के सन्दर्भ में नामांकन में गिरावट कहीं ज्यादा नज़र आती है। UDISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार SC समुदाय के बच्चों का प्रतिशत जो प्राथमिक स्तर पर 19.6 था, उच्च-प्राथमिक स्तर घटकर 17.3 प्रतिशत रह गया। नामांकन में यह गिरावट ST छात्रों (10.6 प्रतिशत से घटकर 6.8 प्रतिशत), मुस्लिम छात्रों (15 प्रतिशत से घटकर 7.9 प्रतिशत) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (1.1 प्रतिशत से घटकर 0.25 प्रतिशत)में और भी ज्यादा नज़र आती है। इन URGs के अंतर्गत केवल छात्राओं के आंकड़े देखें तो नामांकन में और भी अधिक गिरावट दिखती है। उच्च शिक्षा में URGs के नामांकन में गिरावट और बढ़ जाती है।

6.1.1 अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के छात्रों के लिए अध्याय 1-3 में दिए गए नीतिगत प्रावधानों पर जोर अध्याय 1 से 3 में आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल, बुनियादी साक्षरता/गणना और शिक्षा में पहुंच/

नामांकन/उपस्थिति के सन्दर्भ में जिन महत्वपूर्ण शैक्षिक मुद्दों को उठाया गया है वे URGs के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। अध्याय 1-3 में वर्णित नीतिगत कदमों पर URGs के छात्रों के सन्दर्भ में विशेष बल दिया जाएगा।

6.1.2 विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र (स्पेशल एजुकेशन ज़ोन) स्थापित करना- देश भर के विचित क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र स्थापित किये जाएंगे। यह देखा गया है कि मानव विकास सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी विकास को लेकर क्षेत्रीय असमानताएँ हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में URGs के छात्र अपेक्षाकृत काफी अधिक संख्या में हैं। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सामाजिक विकास और सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के आधार पर कुछ निश्चित क्षेत्रों (जैसे कि मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्र) को स्पेशल एजुकेशन ज़ोन का दर्जा दें।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

अनुसूचित जनजाति की शिक्षा से सम्बंधित बहुत से शोध तथा पर्चे बच्चों की शिक्षा से दूरी को दर्शाते हैं। रानी, एम (2000) अपने शोध में पाया कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में आने वाली सबसे बड़ी समस्या भाषा है। क्योंकि यह बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों के साथ जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, वही इनके स्कूल से दूरी का कारण बन जाता है। वैद्यनाथन और नायर, (2001) के अनुसार सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों का प्रोत्साहित रहना उनकी गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण है। झा और डिंगरन, डी. (2002) शिक्षा के शुरूआती सालों में मात्रभाषा को निर्देश के माध्यम के रूप में प्रयोग किये जाने पर बल देते हैं। उनके अनुसार यह जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में उनकी भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर है।

इसके अलावा भी अन्य सी समस्याएँ हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को पनपने नहीं देती। इसके लिए आवश्यक है कि शाला स्तर पर ही मुख्यतः कार्य किया जाए और यह जिम्मेदारी जाती है शाला के प्रधान को। शाला के प्रधानाध्यापक को इन आदिवासी क्षेत्रों में एक बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए और बच्चों को सीखने-सिखाने का एक सहज वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए उनके रहन-सहन, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को बेहतर रूप से समझने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से उन्हें निम्न बिंदुओं पर अपनी समझ स्थापित करनी होगी जिससे वे एक बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सकें।

शाला की सामाजिक-  
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

शाला प्रबंधन

बच्चों के प्रति शिक्षकों  
के पूर्वाग्रह

पाठ्यक्रम और सीखने  
सिखाने की प्रक्रिया से  
सम्बंधित फेरबदल

शाला, समुदाय और  
पारिवार से सम्बंधित मुद्दे

बच्चों की भाषागत  
आवश्यकताएँ

इस मॉड्यूल में हम  
इनमें से कुछ हिस्सों  
पर प्रधानाध्यापक  
के अपेक्षित नेतृत्व  
पर चर्चा करने का  
प्रयास करेंगें।



## भाग - 1 :

# आदिवासी बच्चों की स्कूल से बाहर की चुनौतियों को समझना

उद्देश्य :

आदिवासी बच्चों की उन चुनौतियों को समझ पाएंगे जो उन्हें शाला तक पहुंचने नहीं देती।

## परिचय

विभिन्न शोध तथा नीतिगत दस्तावेज यह कहते हैं कि बच्चों का सीखना - सिखाना बहुत से मुद्दों पर निर्भर करता है। इसमें बच्चों के घर के माहौल के साथ-साथ आसपास होने वाली विभिन्न गतिविधियाँ भी असर डालती हैं। ऐसे में अगर बच्चों को आवश्यक प्रोत्साहन समय पर नहीं मिला तो वह भी शिक्षा से दूर होता जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रधानाध्यापक होने के नाते कोई भी पहल करने से पहले आदिवासी बच्चों को आने वाली चुनौतियों को जानें। इससे हम उन्हें दूर करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा पाएंगें। इस भाग में हम मुख्य रूप से उन चुनौतियों को समझने का प्रयास करेंगें जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है।



इन तस्वीरों को देखें और विचार करें की यह किन चुनौतियों की ओर इशारा कर रही हैं? क्या इन परिस्थितियों का असर बच्चों के सीखने-सिखाने पर पड़ता होगा? यदि हाँ तो किस प्रकार।

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- आदिवासी बच्चे अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं। हाँलाकि उनके लिए वो ही उनकी दुनिया है लेकिन अगर हम समान अवसरों की बात करें तो यह समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें सभी सुविधाएं मिलें। सबसे पहली चुनौती जो आदिवासी बच्चे महसूस करते हैं वो हैं मूलभूत सुविधाओं की कमी। आदिवासी समुदाय हमेशा आपको बड़े समुदाय से कटा-छठा ही नजर आएगा। यह समुदाय आमतौर पर बसाहट से दूर रहता, या अपने खेत या पलियों में बसता दिखाई देता है। इसके कारण इन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे- पीने का पानी, रोजमर्रा का सामान इत्यादि जुटाने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में परिवार के छोटे बच्चे भी घर के कामों में मदद करते हैं।
- दूसरी बड़ी चुनौती है पालकों का अशिक्षित होना। इन परिवारों के लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण परिवार का पालन-पोषण है। जिस कारण आवश्यकता पड़ने पर वे अपने बच्चों को अन्य कार्यों जैसे; अपने छोटे भाई-बहन की देखभाल, घर के काम, मजदूरी आदि में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में भी बच्चे शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। कई बार यह हमारा पूर्वाग्रह भी रहता है कि आदिवासी बच्चों के पालकों को बच्चों की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे इस तरह समझने का प्रयास करें कि यह वो समूह है जो बाहरी दुनिया से बिलकुल कटा हुआ है, जिससे ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने वाली पहली पीढ़ी हो सकते हैं। ऐसी में पालकों की अपेक्षाएं स्कूल के प्रति थोड़ी बढ़ जाती हैं लेकिन जब उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं और बच्चों को वापस अपनी ही दुनिया में ले जाने का प्रयास करते हैं। जिससे कम-से-कम उसका अस्तित्व बना रहे। इसके लिए आवश्यकता है इन बच्चों के लिए एक दूरगामी योजना बनाने की। जिससे यह बच्चे आगे बढ़ते रहें और इनके पालकों को भी इनके भविष्य को लेकर कोई संशय न हो।
- काम के सिलसिले में परिवार का पलायन करना भी इन बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती है। खेती, मजदूरी करने आदिवासी परिवार अक्सर एक राज्य से दुसरे राज्य पलायन कर जाते हैं, जिस कारण इनके बच्चों की शिक्षा पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को स्कूल से जोड़े रखना भी एक चुनौती बन जाती है।
- इसके अलावा अन्य कई चुनौतियां हैं जो बच्चों को धेरे रहती हैं जैसे ; स्कूल की उनके घर से दूरी, स्कूल का वातावरण इत्यादि।

इन चुनौतियों का एक गहरा प्रभाव आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है, जिसके चलते जो बदलाव हम उनके जीवन में देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाते। यहाँ प्रधानाध्यापक से यह अपेक्षा नहीं की जा रही की वे इन सभी समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करें। यह आवश्यक नहीं कि हम सभी चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। लेकिन बच्चों के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जानने के बाद आप अपने स्कूल के नियमों में लचीलापन ला सकते हैं जिससे यह बच्चे अपने आपको महत्वपूर्ण महसूस करें। ऐसा करने से हम ज्यादा बेहतर तरीके से उनके साथ जुड़ पाएंगे।



## भाग - 2 :

# आदिवासी बच्चों की स्कूल के अंदर की चुनौतियों को समझना

उद्देश्य :

आदिवासी बच्चे स्कूल के अंदर जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे।

### परिचय

इससे पहले के भाग में हमने जाना कि आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों से बच्चे फिर भी पार पाने का प्रयास करते हैं और धीरे-धीरे उनसे उभर भी जाते हैं, लेकिन स्कूल के अन्दर कक्षागत प्रक्रियाओं के दौरान आ रही चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता तो कुछ समय बाद ही यह बच्चे ड्राप-आउट या शाला त्यागी बच्चों की सूची में शामिल हो जाते हैं। बहुत से पर्चे और नीतिगत दस्तावेज आदिवासी बच्चों की शालागत चुनौतियों की ओर झंगित करते हैं, जिसमें से भाषागत चुनौती को मुख्य माना गया है।

विचार करें, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल के अंदर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हम सभी जानते हैं कि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, भाषा से ही हम अपने विचारों को आकार देते हैं। हमारी दुनिया को समझने का माध्यम हमारी भाषा है। और जैसा नई शिक्षा नीति 2020 का अध्याय 5 कहता है कि सभी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हम अपनी भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे अपनी

दुनिया को समझने के लिए अलग-अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे अपने घरों के दायरे से निकलकर स्कूल के दायरे या औपचारिक शिक्षा के दायरे में आते हैं तो सीखना -सिखाना मानक भाषा में करवाया जाता है। तो अगर हम आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को परिस्थिति में देखें तो वे सीखने के दौरान निम्न चुनौतियां महसूस करते होंगे -

- औपचारिक शिक्षा के शुरुआती सालों में आदिवासी बच्चे जिस चुनौती सामना करते हैं वह है एक सामाजिक संस्था में कदम रखना। व्यवहार से शर्मीले इन बच्चों के लिए यह एक बिलकुल नया अनुभव होता है। सामाजिक तौर पर इन बच्चों के परिवार भीड़-भाड़ से अलग एक बस्ती या अपने खेत में निवास करते हैं, बाहरी दुनिया से इनका मेलजोल बहुत ही सीमित रहता है। ऐसे में अन्य बच्चों के साथ स्कूल में बैठना, सीखना-सिखाना इनके लिए एक नया अनुभव होता है, जो एक चुनौती की तरह पेश आता है।
- पूरी शिक्षण प्रक्रिया का एक नई भाषा में होना आदिवासी बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्कूल में प्रवेश के बाद अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आदिवासी बच्चों के जीवन में होता है। स्कूल आने से पहले तक जिस भाषा के माध्यम से यह बच्चे अपनी पूरी दुनिया को समझते थे वह भाषा अब उन्हें कहीं सुनाई नहीं देती। अब वे दिनभर ऐसी भाषा को सुनते हैं जिसे न उन्होंने कभी सुना है और न वे उसे समझते हैं। यह माहौल न चाहते हुए भी आदिवासी बच्चों को यह एहसास करवाता है कि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने अपनी दुनिया को सुना, समझा और देखा उसका कोई महत्व नहीं है और न ही उससे वे आगे कुछ सीख सकते हैं। यह एक तरह से उनके पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देता है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास के लिए ठीक नहीं।
- आदिवासी समुदाय की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है जिसमें लोकगीत, कथाएं और कहानियाँ लम्बे समय से चली आ रही हैं। लेकिन इस समुदाय के बच्चों ने कभी अपने इस समृद्ध साहित्य को लिखित रूप में नहीं देखा। और अचानक से स्कूल आने के बाद पाठ्यपुस्तक उनके सीखने का केंद्र बना दी जाती है, जो न उन्हें समझ आती है और न ही उनसे वो खुद को जोड़ पाते हैं। न सिर्फ पाठ्यपुस्तक बल्कि स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाले किसी भी शिक्षण सामग्री में उनकी संस्कृति की कोई झलक नहीं मिलती है। जब वे इन सभी सीखने-सिखाने के साधनों को इस्तेमाल करने में खुद को अक्षम महसूस करते हैं तो यह उनके लिए स्कूल के प्रति और दूरी बना देता है।
- आदिवासी बच्चों के लिए ये चुनौती और बड़ी हो जाती है जब सीखने -सिखाने में मदद करने वाले शिक्षक ही स्वयं उनकी भाषा नहीं समझ पाते। कई बार यह चुनौती बहुत बढ़ जाती है जब गैर आदिवासी शिक्षक आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ हो जाते हैं। तब सामग्री, माहौल और कक्षा में होने वाला संवाद भी उन्हें स्कूल से जोड़ नहीं पाता। इस परिस्थिति में बच्चे धीरे-धीरे चुप्पी साधने और खुद को सीखने -सिखाने कि प्रक्रिया से अलग-थलग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- विभिन्न नीति दस्तावेज कहते हैं कि बच्चों को सीखने-सिखाने कि प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए तो वे बेहतर सीखते हैं क्योंकि उन्हें गतिविधियों के माध्यम से सीखे हुए को इस्तेमाल करने का मौका दिया जाता है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे उक्त दर्शाई विभिन्न चुनौतियों के चलते गतिविधियों में भागीदारी नहीं कर पाते तो ऐसे में स्वतः ही उनके सीखने की गति धीमी पड़ जाती है।

ऐसी स्थिति में देखें तो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे अपनी मातृभाषा और मानक भाषा के बीच संतुलन और तालमेल बैठाने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगाते रह जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका सीखना तो मुश्किल होता है ही साथ ही उनके आत्मसम्मान को भी गहरी क्षति पहुंचती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करते हुए यह कहता है कि यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उनकी आयु अनुरूप पूरी क्षमता तक उनका सर्वांगीण विकास करें। लेकिन अगर हमारे स्कूल का माहौल इसके विपरीत कार्य करे तो यह आवश्यक होगा कि हम उसमें बदलाव लाएं। यहाँ पर प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी सामने आती है कि वे अपने नेतृत्व कौशल से यह सुनिश्चित करें कि बच्चों कि आवश्यकता के अनुसार स्कूल में अपेक्षित बदलाव हो जिससे शिक्षा के उद्देश्य को पाया जा सके।



## भाग - 3 :

# प्रधानाध्यापक होने के नाते शाला में किये जाने वाले प्रयास

उद्देश्य :

एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते स्कूल की चुनौतियों के समाधान के कुछ सुझावों को चिन्हित कर सकेंगे।

### परिचय

इससे पहले के दो भागों में हमने आदिवासी बच्चों को आ रही चुनौतियों के बारे में जाना। लेकिन चुनौतियों को केवल जान भर लेने से बदलाव की अपेक्षा नहीं की जा सकती, उसके लिए कुछ प्रयास करने आवश्यक हैं। कई बार हमारी शालाओं में दिखने वाली चुनौती बहुत बड़ी नज़र आती है जिस कारण उसे हल करने की हम पहल नहीं कर पाते। इसके चलते लम्बे समय तक हमारे स्कूलों में एक ही तरह की स्थिति बनी रहती है जो हमारे अकादमिक प्रयासों को प्रभावित करती है। मॉड्यूल के इस भाग में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानाध्यापक होने के नाते हम कैसे बड़ी चुनौतियों को छोटे भागों में बांटकर उसके कुछ हल ढूँढ़ने का प्रयास कर सकते हैं जिससे हमारे स्कूलों में बदलाव आये।

शाला वातावरण को सहज बनाने के कुछ प्रयास -

विचार करें, आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं में ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे बच्चे सहज महसूस कर सकें?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- किसी भी शाला के वातावरण को सीखने-सिखाने के लिए अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक है कि बच्चों और शिक्षकों के रिश्ते में समरस्ता हो। और यह कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। बच्चों को शाला से जोड़ने के लिए शुरुआत में प्रधानाध्यापकों को कुछ ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना होगा जिससे बच्चे और शिक्षक एक दुसरे से जुड़ पाएं। कुछ ऐसी गतिविधियों का भी आयोजन कर सकते हैं जिससे बच्चों के कौशल और क्षमताएं उभर कर सामने आएं। जैसे - चित्रकला प्रतियोगिता या अपनी शाला की बाउंड्री पर बच्चों से चित्र बनवाना, लकड़ी के खिलौने इत्यादि बनवाना, तीर कमान बनवाना, वृक्ष लगवाना इत्यादि। इस तरह के प्रदर्शन कार्यक्रमों से बच्चों के मनोबल में भी वृद्धि होगी।
- कई बार शिक्षकों के मन में बच्चों को लेकर और बच्चों के मन में शिक्षकों और शाला को लेकर बहुत से पूर्वाग्रह होते हैं, जिसके कारण शिक्षकों और बच्चों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाता। इसके लिए प्रधानाध्यापक अपने स्कूल में बातचीत की संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। यह बातचीत आपके और शिक्षकों के बीच, शिक्षकों और बच्चों के बीच, आपके और बच्चों के बीच या बच्चों की आपस में हो सकती है। इसके लिए आप किसी भी समय का चुनाव कर सकते हैं। आपके और शिक्षकों के बीच यह बातचीत बहुत से बदलाव ला सकती है। इससे शिक्षकों के मन में स्कूली प्रक्रिया या बच्चों को लेकर यदि कोई धारणा है तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है।
- शाला में खेल गतिविधियों का आयोजन भी बच्चों में उत्साह वृद्धि कर सकता है। जैसे - दौड़, तीरंदाजी प्रतियोगिता इत्यादि।
- आदिवासी क्षेत्रों की मौखिक परंपरा बहुत समृद्ध है, इनका इस्तेमाल करते हुए प्रधानाध्यापक अपनी शाला में उनके लोकगीतों, कहानियों, किस्सों की संगोष्ठी करवा सकते हैं। ऐसा करने से सभी उनकी संस्कृति से परिचित होंगे और आपस में समरस्ता बढ़ेगी।



जब यह सभी गतिविधियाँ शाला में

होंगी तो बच्चों की सहभागिता और उत्साह को देखते हुए शिक्षकों का नजरिया और शाला का वातावरण जरूर बदलेगा। यह सभी प्रक्रियाएं शिक्षकों को यह महसूस करवाएंगी की आदिवासी बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया है जिसे समझना उनके लिए बहुत आवश्यक है, तभी वे आगे इन बच्चों को सीखने -सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ पाएंगे।

**भाषागत चुनौतियों से जूझने के लिए किये जाने वाले प्रयास -**

शाला के वातावरण को सहज बनाने के बाद सीखने -सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ कार्य करने आवश्यक हैं। हमारे नीतिगत दस्तावेज भी इन्हें लेकर कुछ अनुसंशाएं पेश करते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाषागत चुनौतियों से जूझने के लिए प्रधानाध्यापक अपनी शाला में क्या-क्या कार्य कर सकते हैं।

## राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार -

- बच्चों को पर्याप्त अवसर मिले तो वह नई भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं।
- शिक्षण का केंद्र व्याकरण न होकर विषयवस्तु पर होना चाहिए।
- शिक्षा में भाषा की भूमिका को समझने के लिए हमें इसके संरचनात्मक रूप के साथ-साथ साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सौन्दर्यशास्त्रीय पक्षों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

## 4.5 मात्र भाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा, बहु-भाषिकता और भाषा की शक्ति -

भाषा से जुड़े मुद्दे शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्व रखते हैं। भाषा संवाद का माध्यम होने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, समाज और इसके सामुदायिक संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने और उसके सम्प्रेषण का माध्यम भी है। किसी भी तरह के ज्ञान-अर्जन या ज्ञान निर्माण और सभी संज्ञानात्मक और सामाजिक गतिविधियों में भाषा सीधे-सीधे मध्यस्तता करती है। बाल-विकास, बाल मनोविज्ञान और भाषा विकास में हुए अध्ययन ये बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर सीखते हैं। 2 से 8 वर्ष की उम्र के दौरान बच्चों में अनेक भाषाओं को सीखने कि गज़ब की क्षमता होती है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक क्षमता है जिसको पोषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार बहु-भाषिकता के अनेक फायदे हैं जिनका हमारे जीवन में ख़ासा महत्व है।

## 5 मात्र भाषा/घर की भाषा में शिक्षा -

यह सर्वविदित तथ्य है कि बच्चे सभी महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को अपनी मातृभाषा या अपनी घर की भाषा में जल्दी और बेहतर सीखते हैं। यह नीति इस बात से सहमत है कि बड़ी भारी संख्या में बच्चे ऐसे स्कूलों में जा रहे हैं जहां ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाती है जो उन्हें समझ में नहीं आती। इसके चलते वे सीखना शुरू करने से पहले ही पिछड़ने लगते हैं और अंततः शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आरंभिक वर्षों में बच्चों की कक्षाएं उनकी अपनी भाषाओं में चलाई जाएं।

**5.2 जिनकी भाषा निर्देशों की भाषा अलग है उनके लिए द्विभाषी एप्रोच -** शिक्षाकर्म एक लचीली-भाषा एप्रोच को बढ़ावा देगा। कक्षा में इसे प्रोत्साहित करेगा। शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा द्विभाषी एप्रोच को अपनाए न केवल संवाद में बल्कि सीखने-सिखाने की सामग्री भी द्विभाषी हो, ताकि जिन विद्यार्थियों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग है उन्हें स्कूल की भाषा में पारंगत होने में सहायता मिले।

**नई शिक्षा नीति 2020**

- **प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की बातचीत -** प्रधानाध्यापक होने के नाते हमें शुरुआत यहीं से करनी होगी कि सभी शिक्षक साथियों के साथ मिलकर भाषागत चुनौतियों पर चर्चा करें। सभी शिक्षक साथियों से सुझाव लें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और उनका सीखना सुनिश्चित हो। सभी के सुझावों की एक सूची बनाएं और प्राथमिकता तय करें, कि किस कार्य को पहले किया जाना आवश्यक है।
- **विभिन्न गतिविधियों में बच्चों के घर की भाषा और मानक भाषा का प्रयोग -** जैसा हमने भाग 2 के बिन्दुओं में बात की है कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूल में इस्तेमाल की जाने वाली मानक भाषा नई होती है, तो हम यह तय कर सकते हैं कि स्कूल खुलने के बाद लगभग 2-3 महीने हम बच्चों के साथ अलग-अलग

गतिविधि करेंगे जिसमें उनकी भाषा और मानक भाषा दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इन गतिविधियों में उस क्षेत्र के स्थानीय खेल/कार्यक्रमों का प्रयोग किया जा सकता है जिससे बच्चे भली-भाँती परिचित हों। इसे करने के लिए आप समुदाय का सहयोग या किसी शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को स्कूल के माहौल से सहज होने में मदद करेंगे। साथ-ही-साथ यह शिक्षकों और बच्चों के बीच के खिंचाव को भी दूर करेंगे।

हमने पहले भी बात की है कि आदिवासी समुदाय का खुद का एक समृद्ध मौखिक साहित्य है। क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कैसे इस साहित्य को स्कूली शिक्षा के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- शाला स्तर पर बच्चों के साहित्य का निर्माण** - आदिवासी समुदाय के साहित्य को कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है और यह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि बच्चे इस साहित्य से परिचित हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप शुरुआत में कुछ स्थानीय बालगीतों/लोकगीतों, कहानियों को एक चार्ट पर लिखकर पोस्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चार्ट या पोस्टर का मौखिक गतिविधियों के दौरान लगातार इस्तेमाल उन्हें लिपि से जोड़ने में मदद करेगा। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक सिर्फ एक माध्यम है, यदि उसे इस्तेमाल करने के उद्देश्य में कोई और सामग्री भी मदद कर रही है तो हमें जरूर उसे इस्तेमाल

यह बैगा भाषा का गीत है 'तै में' जो 'बजारे' किताब से लिया गया है।



### तै में (हम तुम)

तै में जाबो रे बाजार,  
तै में जाबो रे बाजार,  
खांधे झोला टांगके  
बाजार जाबोरे।  
तै में जाबो मवई के बाजार,  
तै में जाबो मवई के बाजार,  
आज नैको बिहाने  
शनिचर के बाजार रे।  
तै में टांगे ढोल टिमकी,  
तै में पेहरेन कानतड़की,  
मरगा पाख बैगा कर सिंगारे।

हम तुम चलेंगे बाजार  
हम तुम चलेंगे बाजार  
कांधे पर झोला टांगे  
बाजार चलेंगे रे  
हम तुम चलेंगे मवई के बाजार  
हम तुम चलेंगे मवई के बाजार  
आज नहीं कल है  
शनिवार बाजार रे।  
हम तुम टांगे ढोल ढिमकी।  
हम तुम पहने कान तड़की  
मोर पंख बैगा कर सिंगारे।

करना चाहिए। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानाध्यापक अपने स्कूल के पुस्तकालय में आदिवासी साहित्य के भाग का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हाथ से लिखी कहानियों की किताब का निर्माण किया जा सकता है। इसके निर्माण में बच्चे, समुदाय के किसी बुजुर्ग व्यक्ति या कोई युवा भी आपकी मदद कर सकता है। ऐसी कहानियों की किताबों को स्कूल में स्थान देने से, उनकी संस्कृति को सम्मान देने से बच्चों का लगाव स्कूल की ओर बढ़ेगा और भाषा शिक्षण में आपको मदद मिलेगी। इन कहानियों की किताबों को सतत रूप से पढ़कर सुनाने की गतिविधि में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे बच्चे सुनने और पढ़ने में संबंध बैठा सकें।

- **पुस्तकालय का इस्तेमाल** – भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का उपयोग आपको विशेष उपलब्धि दिलवा सकता है। हमने भाग 2 में भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसाएं पढ़ी। जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि ‘बच्चों को पर्याप्त अवसर मिले तो वो नई भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं।’ इसे ध्यान में रखते हुए आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पर्याप्त प्रिंट सामग्री से रूबरू करवाना बहुत आवश्यक है। वैसे तो पूरी शाला के परिसर को ही इस कार्य के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन यदि पुस्तकालय का ही पर्याप्त उपयोग किया जाए तो इस चुनौती को चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहला कार्य जो प्रधानाध्यापक कर सकते हैं वह यह है कि सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकालय उपयोग करने दें। इसके साथ-साथ हर बच्चे को प्रतिदिन स्वतंत्र पठन के अवसर प्रदान करें। यहाँ स्वतंत्र पठन से आशय यह नहीं है कि बच्चों को किताब देकर पढ़ने के लिए कहा जाए, यहाँ आशय है कि बच्चे किताबों को उठाकर उसके साथ एकांत में कुछ समय बिताएं। जिससे वे किताबों को उठाना, उलटना, पलटना सीखें। यह प्रक्रिया बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। धीरे-धीरे इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए पुस्तकालय की कुछ गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। पुस्तकालय से सम्बंधित गतिविधियों को देखने के लिए नीचे दिए गए संलग्नक को पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें इन गतिविधियों को करवाते हुए बच्चों के घर की भाषा और मानक भाषा दोनों का प्रयोग करें।



ऊपर दिए वीडियो को देखें और बताएं कि शिक्षक भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं और इससे बच्चों को कैसे मदद मिल रही है?

.....

.....

## पुस्तकालय की गतिविधियाँ.pdf

[https://youtu.be/EilkTEvWU&{}](https://youtu.be/EilkTEvWU&{) (EVS)

[https://youtu.be/8GUZ-Z\\_2E7A](https://youtu.be/8GUZ-Z_2E7A) (Hindi)

- **सीखने-सिखाने के दौरान द्विभाषा रणनीति का इस्तेमाल** - वीडियो में हमने देखा कि शिक्षक भाषा शिक्षण के दौरान द्विभाषा रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि वे बच्चों से प्रश्न पूछने के दौरान उनकी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हिंदी शब्द भी बता रहे हैं। इस प्रक्रिया के इस्तेमाल से बच्चों को समझने और दोनों भाषाओं में तालमेल बैठाने में मदद मिलती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय भी शिक्षक हिंदी का शब्द बोलते समय लिख रहे हैं और उसके नीचे बच्चों की मातृभाषा के शब्द को भी लिख रहे हैं। यह प्रक्रिया बच्चों को सीखी हुई अवधारणा को और पक्का करने में मदद करेगी। प्रधानाध्यापक होने के नाते हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे स्कूल के भाषा शिक्षक इस अप्रोच से परिचित हों। यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें इस प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए डाइट या किसी संस्था जो इस अप्रोच से वाकिफ हों मदद ले सकते हैं। आज के समय में बहुत से ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं जो शिक्षकों को सीखने -सिखाने की प्रक्रियाओं में मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने शिक्षकों को ऐसे कोर्स में भागीदारी लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **बच्चों की सक्रिय सहभागिता** - बच्चों का कक्षा संचालन के दौरान सक्रियता से भाग लेना भी बहुत आवश्यक है। आपने वीडियो में देखा होगा कि शिक्षक ने बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फ्लैशकार्ड बनाए, जिससे वे सीखे हुए का आंकलन भी कर पाएं। इस प्रकार की गतिविधियाँ न सिर्फ हमें आंकलन करने में मदद करती हैं बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देती हैं, उनकी झिझक को तोड़ने का काम करती हैं। इस

### आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में भाषा शिक्षण


शिक्षकों द्वारा कहानियों की किताबों का इस्तेमाल करते हुए पढ़कर सुनाने की गतिविधि की जा सकती है जो बच्चों की भाषा सीखने में मदद करेंगी।

- चित्र दिखाते हुए बच्चों की मातृभाषा में कहानी सुनाना,
- चित्रों को दिखाकर बच्चों को अनुमान लगाकर कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहना,
- कहानी के पात्रों पर चर्चा (मातृभाषा में),
- बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना (मातृभाषा में),
- कहानी के मुख्य शब्दों को पढ़ाना (मातृभाषा और हिंदी दोनों में),
- वाक्यों में मुख्य शब्दों को पहचानने के मौके देना,
- वाक्यों से शब्दों तक आना,
- शब्दों से अक्षर तक आना,
- वाक्य कार्ड की मदद से कहानी बनाना,
- शब्द कार्ड की मदद से वाक्य बनाना।

नाते हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे स्कूल में शिक्षक अवश्य ही इस प्रक्रिया को अपनाएं और शिक्षण से पूर्व ही इस्तेमाल होने वाली सह-शिक्षण सामग्री का निर्माण करें जिसमें दोनों ही भाषाओं का उपयोग हो।

- यदि आपके स्कूल में गैर आदिवासी शिक्षक हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वे धीरे-धीरे स्थानीय भाषा के कुछ शब्द, वाक्य जो आम बोल-चाल में इस्तेमाल होते हैं सीख लें। उनकी मदद के लिए कोई अन्य शिक्षक उस सामग्री निर्माण में सहयोग कर सकता है। आदिवासी क्षेत्रों में यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष से परिचित हों, यदि ऐसा नहीं है तो आपको उन्हें इस पक्ष से परिचित होने में मदद करनी होगी। स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं।
- आदिवासी क्षेत्रों में कक्षा शिक्षण से पूर्व यह बहुत आवश्यक है कि उसकी योजना बनाई जाए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बच्चे उस अवधारणा को बेहतर तरीके से समझें। प्रधानाध्यापक होने के नाते आपको यह देखना होगा कि सभी शिक्षकों ने पाठ योजना तैयार की है या नहीं। ऐसा करने के लिए आप शिक्षकों को पूरे एक हफ्ते की योजना बनाने का सुझाव दे सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें हर दिन योजना बनाने के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही यदि वह शिक्षक किसी दिन अनुपस्थित होते हैं तो उनकी योजना के तहत दूसरे शिक्षक पिछले दिन करवाए कार्यों के माध्यम से कुछ कार्य बच्चों को आवंटित कर सकते हैं।
- **साझेदारी** - प्रधानाध्यापक होने के नाते, यह सभी कार्य आप अकेले नहीं कर सकते। इन सभी कार्यों में आपको कभी शिक्षक, कभी समुदाय या कभी बच्चों को आवश्यकता होगी, तो मदद मांगने से दिल्लके नहीं। क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों की चुनौतियां बहुत हैं तो आपको समय-समय पर साझेदारों की आश्यकता होगी। इसके लिए आप स्वयं सेवी संस्थाओं से भी संपर्क कर सकते हैं जिनका अनुभव आदिवासी क्षेत्रों में काम करने का हो। स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने इसी प्रकार की साझेदारी कुछ संस्थाओं के साथ की है जिनका अनुभव आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने का है। इसके माध्यम से वे उन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए संक्षेप में देखते हैं, वे कौनसी संस्थाएं हैं जो यह कार्य कर रही हैं।

**Madhya Pradesh**



**एन ई जी फायर** - मध्यप्रदेश के इस नक्शे में जिन जिलों में आपको नारंगी रंग नज़र आ रहा है वह एन ई जी फायर संस्था का है। यह संस्था मध्यप्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बैतूल, हरदा, बालाघाट, अनूपपुर एवं खंडवा में कार्य कर रही है। इनका पूरा कार्य मात्रभाषा आधारित बहुभाषीय शिक्षा प्रशिक्षण पर आधारित है। एन ई जी फायर ने मध्यप्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाले 4-7 वर्ष के बच्चों के लिए गोंडी, बैगानी, भीली भाषा में पुस्तकों का सेट तैयार किया है। इन पुस्तकों में बच्चों के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े शब्द उनकी भाषा में दर्शाए गए हैं, चुनिन्दा कहानियों एवं कविताओं का संकलन है एवं उनके परिवेश से जुड़े हुए चित्र हैं। साथ ही शिक्षकों की एक मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है जिससे वे शिक्षक भी उन पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकें जो स्थानीय भाषा नहीं जानते।

**एड्कैट गर्ल्स** - नक्शे के पीले भाग में दिखने वाले जिले जिसमें धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और खंडवा हैं, उसमें एड्कैट गर्ल्स कार्यरत हैं। एड्कैट गर्ल्स मुख्य रूप से शाला से बाहर छात्राओं के नामांकन को लेकर कार्य कर रहे हैं।

**रूम-टू-रीड** - मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में रूम-टू-रीड कक्षा 1 से 3 में रीडिंग, राइटिंग एवं मूलभूत दक्षताओं को लेकर कार्य कर रहे हैं।

**अजीम प्रेमजी फाउंडेशन** - इसी प्रकार धार और खरगोन जिले में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षक शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं।

## समेकन

आपने देखा कि इस भाग में हमने आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की भाषागत आवश्यकताओं पर चर्चा की और कुछ ऐसे कार्य भी चिन्हित किये जिन्हें हम अपने स्कूल में क्रियान्वित कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि इन कार्यों की शुरुआत करने में या करते हुए अपको कुछ कठिनाइयों का सामना करने पड़े, लेकिन आप सतत रूप से उन कार्यों को जारी रखें। ऐसा करने से आपको कुछ ही दिनों में इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। यह बिलकुल सही है कि ऊपर सुझाये कार्य आसान नहीं, इन्हें क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों को लगातार बच्चों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी, और यहीं आपकी मुख्य भूमिका उभर कर आती है। आपको सतत रूप से शिक्षकों को प्रोत्साहित करना होगा, कभी स्वयं कक्षा संचालित करके, तो कभी उनकी मदद करके।

इस पूरे मॉड्यूल में हमने आदिवासी क्षेत्रों की कुछ चुनौतियों को समझने का कार्य किया। इन चुनौतियों के साथ हमने प्रधानाध्यापक होने के नाते कुछ सुझावात्मक कार्यों को भी देखा, जिन्हें हम अपने स्कूलों में लागू कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने की है और नेतृत्वकर्ता होने के नाते सभी का मनोबल बढ़ाए रखने की है। तभी संभव है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे चले हैं वह पूर्ण हो सके।

**प्रोजेक्ट कार्य** - इस मॉड्यूल में दिए गए किसी भी एक कार्य को अपनी शाला में कार्यान्वित करें और उसके अनुभव एक डायरी में नोट करते चलें। **उदाहरण** - यदि आप पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं तो सतत रूप से उसके अनुभव लिखते चलें।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005
3. एन ई जी -फायर शिक्षक प्रशिक्षण मार्गदर्शिका
4. Rani, M. (2000). Tribal languages and Tribal education. SOCIAL ACTION-NEW DELHI, 50 (4), 414-419.
5. Jha,J., and Jhingran, D.(2012). Elementary Education for the Poorest and other deprived Groups, Centre for Policy Research. New Delhi. Retrieve from  
<https://journas.sagepub.com/doi/abs/10.1177/006996671004400325>
6. Sujatha,K. ( 2002 ). Education among Scheduled Tribes. In Givinda. R. (ed.), India Education Report: A profile of Basic Education, New Delhi: Oxford University Press. Retrieve from  
<https://www.academia.edu/download/53945926/analysisTribals.pdf>

लेखक का नाम

केशव कुमार पराशर

डॉ. अशोक कुमार नेगी

डाइट खंडवा (म.प्र.) एवं मॉड्यूल लेखन

टीम जिला खंडवा

मेंटर/ एक्सपर्ट का नाम

करिश्मा बाजपई

पूर्व यूनिसेफ सलाहकार

फ्रीलान्स कंसलटेंट, भोपाल (म.प्र.)

मोबाइल- +91-9755380877

ई मेल- karishmamahendru@yahoo.co.in

